कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक,मध्यप्रदेश

(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल–462003)

क्रमांक 2081/तकनीकी/2015 भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2015

प्रति,

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/
समस्त जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश

विषय – मोबाइल टॉवर की स्थापना हेतु लीज पर ली गई भूमि पर स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क प्रभार्य कराने के संबंध में।

–00–

प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न टेलीकॉम कम्पनियों द्वारा अनुबंध कर मोबाइल टॉवर्स की स्थापना की जा रही हैं। आपको विदित ही है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत ऐसे अनुबंध पत्र वस्तुतः पट्टा विलेख (लीज डीड) की श्रेणी में आते हैं, तथा पट्टा विलेखों पर अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 38 के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। एक वर्ष से अधिक की अवधि के ऐसे पट्टा विलेखों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार पंजीयन भी अनिवार्य है। इन दस्तावेजों पर स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क प्रभार्य करने, तथा यदि शुल्क का अपवंचन हो रहा हो, तो उसे रोकने के लिए समस्त परिक्षेत्रिय उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं जिला पंजीयकों की बैठक दिनांक 13.01.2015 में भी निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें कि इस बैठक के कार्यवाही विवरण की कंडिका 10 की उप कंडिका 4 में सम्मिलित किया गया है।

2. यह ध्यान में आया है कि कतिपय नगरीय संस्थाओं द्वारा मोबाइल टॉवर कम्पनियों से प्रभार्य स्टाम्प शुल्क लगवाए बिना अनुबंध पत्रों को निष्पादित कराया जा रहा है, जिससे शासन को स्टाम्प शुल्क के रूप में राजस्व की क्षति हो रही है।

3. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4219/तकनीकी/2014, दिनांक 23.09.2014 द्वारा आयुक्त नगरीय विकास एवं पर्यावरण मध्यप्रदेश को नगरीय संस्थाओं के समस्त अधिकारियों को यह निर्देशित करने के लिए लिखा गया है कि वे मोबाइल टॉवर कम्पनियों से किए जाने वाले अनुबंध पत्रों (लीज डीड) पर नियमानुसार स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क अदा होने के उपरांत ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर मोबाइल टॉवर की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करें। इस पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

4. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले की सभी नगरीय संस्थाओं का निरीक्षण कर स्थापित होने वाले सभी मोबाइल टॉवर्स के अनुबंध पत्रों (लीज डीड) पर नियमानुसार स्टाम्प तथा पंजीयन प्रभार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 2082/तकनीकी/2015 भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2015

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त परिक्षेत्रिय उपमहानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त वरिष्ठ उप पंजीयक/उप पंजीयक, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल–462003)

क्रमांक 4219 / तकनीकी / 2014 भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2014

प्रति,

आयुक्त,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय – मोबाइल टॉवर की स्थापना हेतु लीज पर दी गई भूमि पर स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क प्रभार्य करने के संबंध में।

––00––

महालेखाकार मध्यप्रदेश द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि सिर्फ चार जिलों– जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, तथा पांढुर्ना की नगर पालिक निगम/नगर पालिका के आडिट निरीक्षण में यह ध्यान में आया है कि इन नगरीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 2013–14 में मोबाइल टॉवर की स्थापना हेतु 455 प्रकरणों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई । इन नगरीय संस्थाओं द्वारा एक से तीस वर्ष की अवधि के लिए मोबाइल टॉवर कम्पनियों से सिर्फ 100 रूपए के स्टाम्प पर अनुबंध किए गए हैं, तथा इन दस्तावेजों का पंजीयन भी नहीं कराया गया है। महालेखाकार ऑडिट द्वारा इन 455 प्रकरणों में से सिर्फ 44 प्रकरणों में ही 14 लाख रूपए का स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क के रूप में राजस्व कर अपवंचन आक्षेपित किया गया है। ऐसे प्रकरण प्रदेश की अन्य नगरीय संस्थाओं में भी हो रहे हैं, जिससे शासन को राजस्व की महती क्षति हो रही है।

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत ऐसे अनुबंध पत्र वस्तुतः पट्टा विलेख (लीज डीड) की श्रेणी में आते हैं, तथा पट्टा विलेखों पर अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 33 (नवीन अनुच्छेद 38) के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। एक वर्ष से अधिक की अवधि के ऐसे पट्टा विलेखों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार पंजीयन भी अनिवार्य है।

3. अतः कृपया अपने अधीनस्थ नगरीय संस्थाओं के समस्त संबंधित अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें, कि वे मोबाइल टॉवर कंपनियों से किए जाने वाले अनुबंध पत्रों (लीज डीड) पर नियमानुसार स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क अदा होने के उपरांत ही मोबाइल टॉवर स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 4220/तकनीकी/2014 भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2014

प्रतिलिपि :–

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश